<u>न्यायालयः</u>— मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला—बालोद, (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारीः— संजय जायसवाल)

क्लेम केस नं.:— 2 / 2016. संस्थित दिनांक :--6--1--2016.

-अनावेदकगण.

- श्रीमती कमलाबाई पति स्व. हरिराम गोंड़, उम्र लगभग 60 वर्ष,
- सोमारूराम आ. हिरराम गोंड़, उम्र–32 वर्ष, सभी निवासी– ग्राम हरवेल, पो. चिपरेल, थाना व तहसील केशकाल, जिला–कोंडागांव (छ.ग.)

—— <u>आवेदकगण</u>.

/ / विरूध्द / /

- तंगराजू आ. एन.नलैयन, उम्र–49 वर्ष, साकिन–चितालांदुर, थाना–त्रिचंगगोड़, जिला –नामक्कल (तिमलनाडु), हालमुकाम– भान साहू का मकान, ग्राम झलमला, पो.–आदमाबाद, तह. व जिला–बालोद (छ.ग.),
- 2. पी.कल्याणनण, संचालक— पी.के.ए.ट्यूबवेल्स, 21 अयप्पा मंदिर के पास, अनेकल तालुक, बैंगलोर, जिला बैंगलोर (कर्नाटक),
- यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमि.,
 डिवीजनल ऑफिस 171800, 146 / एन. सेकंड फ्लोर,
 कुमार कॉम्पलेक्स, अन्नासलाई त्रिचेनगोड़,
 नामक्कल (तमिलनाड़)

ः <u>अधिनिर्णय</u>ः (दिनांक 10—3—2017 को पारित)

01. धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत इस दावा आवेदन में दिनांक 2—6—2015 को अनावेदक क्रमांक—1 तंगराजू व्दारा वाहन द्रक क्रमांक—के.ए.01ए.बी.—8988 को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाये जाने के

फलस्वरूप हुई दुर्घटना में सोमनाथ गोंड़ की मृत्यु बाबत् प्रतिकर राशि की मांग कमशः उसकी मां और भाई ने आवेदकगण के रूप में की है, जिसमें आगे उक्त वाहन को दोषी वाहन से सम्बोधित किया जा रहा है।

- 02. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक क्रमांक—1 व 2 क्रमशः उक्त दोषी वाहन के चालक व पंजीकृत स्वामी हैं तथा यह अविवादित तथ्य है कि अनावेदक क्रमांक—3 उक्त दोषी वाहन का बीमाकर्ता है ।
- दावा आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि 20 वर्षीय हृष्ट-पृष्ट, 03. स्वस्थ व बलशाली नवजवान सोमनाथ पी.के.एस.ट्यूबवेल्स (बोरवेल्स) में मजदूरी करता था, जिसे प्रतिमाह 8,500 / – रूपये मजदूरी के साथ दोनों समय का खाना, नाश्ता और रहने की सुविधा दी जाती थी । घटना के दिन वह दोषी वाहन की सफाई कर रहा था तभी उसका चालक तंगराजू वाहन को चेक किये बिना लापरवाहीपूर्वक अचानक वाहन को तेजगति से चला दिया, जिसके फलस्वरूप उसमें काम कर रहा सोमनाथ झटके से नीचे गिर गया और दोषी वाहन के पिछले चक्के में दब जाने से उसके जांघ और घुटने की हड्डी टूट गई, गुप्तांग में संघातिक चोट आई और ईलाज हेतू राजनांदगांव ले जाते वक्त रास्ते में मृत्यु हो गई, जिस बाबत् थाना डौंडीलोहारा में अपराध क्रमांक 193 / 15 कायम हुआ । आगे दावा आवेदन इस आशय का है कि सोमनाथ अविवाहित था, जिसका भाई आवेदक सोमारूराम मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, आवेदकगण मृतक पर आश्रित थे, जिस मृतक की मजदूरी में उत्तरोत्तर वृध्दि की भी संभावना थी, उसकी आकरिमक मृत्यू से आवेदकगण निराश्रित होकर उसकी आय से वंचित हो गये हैं । अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुए कूल 36,63,000 / – रूपये प्रतिकर राशि मय ब्याज तथा वादव्यय के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

04. अनावेदक कमांक—1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुए इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि क्षितिपूर्ति का आंकलन मनमाना और बढ़ा—चढ़ाकर किया गया है, अनावेदक तंगराजू वैध ड्रायव्हिंग लायसेंसधारी है, जो वाहन को धीमी गित और सावधानीपूर्वक चला रहा था, जिस वाहन का वैध परिमट, फिटनेस है और वह जीवित है, उसकी लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि वास्तविकता यह है कि स्वयं सोमनाथ की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी, इसलिये अनावेदकगण किसी प्रतिकर के लिये उत्तरदायी नहीं हैं, फिर भी यदि आवेदकगण को क्षितपूर्ति का हकदार पाया जाता है तो दोषी वाहन अनावेदक कमांक—3 से बीमित होने के कारण क्षितपूर्ति हेतु अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी उत्तरदायी है, अतः उनके विरूध्द दावा आवेदन खारिज किया जाये।

05. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुए इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि सत्यापन के अभाव में बीमा इंकार है, बीमा की शर्तों में प्रमुख शर्त यह होती है कि चालक के पास वैध व प्रभावी झ्रायव्हिंग लायसेंस हो, वाहन का पंजीयन, फिटनेस, परिनट वैध और प्रभावशील होना चाहिये, जिसके अभाव में बीमा कंपनी किसी प्रतिकर के लिये उत्तरदायी नहीं होती । इस दुर्घटना के बाबत् पहले हिरउराम, भागवती, समारूराम और मोनिका व्दारा दावा प्रकरण क्रमांक 48/15 पेश किया गया था, जिसमें मृतक सोमनाथ को हिरउराम और भागवती की संतान बताया गया था, जबिक इस मामले में सोमनाथ की मां आवेदिका कमलाबाई को बताया जा रहा है । इस प्रकार आवेदकगण का रिश्ता और आश्रित होने की बात संदेहास्पद है, इसलिये दावा आवेदन खारिज किया जाये।

की गई है, जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरांत दिये जा रहे हैं :-

<u>Φ0</u>	<u>वाद प्रश्न</u>	<u>निष्कर्ष</u>
1.	क्या घटना दिनांक 2—6—2015 को अनावेदक कमांक—1 वाहन द्रक क्रमांक—के.ए.01ए.बी.—8988 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर रामनगर डौंडीलोहारा में रामटेके के मकान के पास चलाया, जिससे उक्त द्रक वाहन की सफाई कर रहा सोमनाथ द्रक से नीचे गिरकर पिछले चक्के में दबने से उसकी मृत्यु कारित हुई ?	"हॉं''।
2अ.	क्या आवेदकगण मृतक के आश्रित हैं ?	''हॉ''
2ब.	क्या पूर्व में प्रकरण क्रमांक 48/15 प्रस्तुत हुआ था, यदि हां तो प्रभाव ?	''प्रभाव कुछ नहीं''
3.	क्या मामले में बीमा शर्त का भंग किया गया है, यदि हां तो प्रभाव ?	''प्रमाणित नहीं''
4.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो कितना ?	''कंंडिका— 15 के अनुसार निराकृत।''
5.	सहायता एवं व्यय ?	''कंडिका– 17 के अनुसार निराकृत।''

निष्कर्ष के आधार

वाद प्रश्न कमांक-23 व 2ब :-

07. इस मामले में आवेदक पक्ष से आ.सा.क.—2 के रूप में मृतक सोमनाथ की मां कमलाबाई, मृतक के साथ काम करने वाले आ.सा.क.—3 सुध्दूराम तथा कथित काम कराने वाले एजेंट आ.सा.क.—4 भानसिंह साहू और दांडिक मामले के विवेचक आ.सा.क.—1 सहायक उप—िनरीक्षक धरम भूआर्य का परीक्षण कराया गया है, जबिक अनावेदक पक्ष से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

08. अनावेदक पक्ष व्दारा जवाबदावे में उल्लेख किया गया है कि मृतक सोमनाथ के बाबत् पूर्व में एक अन्य दावा पेश किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया था, जिसमें हिरउराम और भागवती ने मृतक सोमनाथ को अपना पुत्र बताया था । इस प्रकार इस तथ्य पर प्रश्न उठाया गया है कि आवेदकगण मृतक की मां और भाई हैं या नहीं ? और वास्तव में मृतक सोमनाथ का पिता हरिराम ही है या हिरउराम था ।

09. इस संदर्भ में आवेदिका कमलाबाई ने कहा है कि उसका पित हिरराम है और मृतक सोमनाथ उसका पुत्र रहा । उसने इस बात की जानकारी होने से इंकार किया है कि पहले उसका देवर हिरउराम ने दावा पेश किया रहा हो, जिसे बाद में वापस ले लिया हो, किंतु अनावेदक पक्ष ने दावे का प्रकरण क्रमांक 48/15 होना बताया है, इसलिये उस दावे के प्रस्तुति को नकारा नहीं जा सकता, किंतु दावा वापस ले लिये जाने से और गुण—दोष पर निराकरण न होने से इस मामले में उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

10. अब मृतक सोमनाथ के पिता की स्थित को देखें तो आवेदिका कमलाबाई के अनुसार मृतक सोमनाथ के पिता का नाम हिरराम है । इस विषय में आवेदिका व्दारा प्रस्तुत पुलिस के चालानी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां, जो प्रदर्श पी—1 से लेकर प्रदर्श पी—9 तक की हैं उनके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि सोमनाथ की मृत्यु बाबत् जीरो पर मर्ग कायमी थाना बसंतपुर में प्रदर्श पी—9 के रूप में हुई थी, जहां सोमनाथ के पिता का नाम हिरराम ही लिखा गया है, किंतु शव पंचनामा प्रदर्श पी—7 तथा शव परीक्षण के आवेदन व प्रतिवेदन प्रदर्श पी—5 में सोमनाथ के पिता का नाम हिरउराम लिखा गया है । इस स्थिति को स्पष्ट कराने वास्ते मामले के विवेचक सहायक उप—िनरीक्षक धरम भूआर्य का परीक्षण आ.सा.क.—1 के रूप में कराया गया है, जिसने अपने बयान में स्पष्ट करते हुये कहा है कि शव पंचनामा और शव

परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसने देखा था कि पिता का नाम हिरउराम था, जबिक मर्ग डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पिता का नाम हरिराम दर्ज था । तब मृतक के परिजनों को तलब किया था तो उसके चाचा हिरउराम ने बताया था कि वह मृतक का पिता जैसा था इसलिये पंचनामा में अपना नाम लिखा दिया था । इस तरह विवेचक के रूप में धरम भूआर्य ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि चाचा हिरउराम ने सोमनाथ को पूत्र की भांति मानता है, शिक्षा के अभाव में पंचनामा के समय पिता के रूप में अपना नाम लिखा दिया था. इसीलिये शव पंचनामा और शव परीक्षण आवेदन तथा प्रतिवेदन में पिता की जगह पर हिरउराम का नाम लिखा गया, जबकि पश्चात् में विवेचक ने पाया कि पिता का नाम हरिराम था । इसलिये डौंडीलोहारा थाने में जो मर्ग प्रदर्श पी-8 कायम किया गया उसमें मृतक के पिता का नाम हरिराम लिखा गया है । इस विषय में न सिर्फ आवेदिका कमलाबाई का बयान, बल्कि विवेचक के रूप में सहायक उप-निरीक्षक धरम भूआर्य का बयान भी अखंडित रहा है । आवेदिका ने दूसरे पुत्र आवेदक सोमारूराम का आधार कार्ड प्रदर्श पी-10सी, स्वयं का आधार कार्ड प्रदर्श पी-11सी, अपने बैंक पासबुक, मृतक सोमनाथ के स्कूल का प्रगति-पत्र और राशनकार्ड की भी नोटरी व्दारा सत्यापित प्रति प्रदर्श पी-12सी के रूप में संलग्न किया है, जिसके अनुसार भी मृतक सोमनाथ के पिता और कमलाबाई के पति का नाम हरिराम दर्ज है । इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि मृतक सोमनाथ का पिता हरिराम था, जिस हरिराम की पत्नी आवेदिका कमलाबाई और पुत्र आवेदक सोमारूराम हैं । अतः वादप्रश्न कमांक-2अ का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हाँ" में दिया जाता है और पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण वापस ले लिये जाने के कारण वादप्रश्न कमांक-2ब का "प्रभाव कुछ नहीं" के रूप में दिया जाता है ।

- 11. मामले में परीक्षित साक्षियों में आवेदिका कमलाबाई मौके की गवाह नहीं है, किंतु उसने बोर गाड़ी की दुर्घटना में अपने पुत्र सोमनाथ की मृत्यृ होना बताते हुये पुलिस के चालानी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 से लेकर प्रदर्श पी—9 तक की प्रस्तुत की है । जिसका विवेचक आ.सा.क.—1 सहायक उप—िनरीक्षक धरम भूआर्य रहा है, जिस चालान से यह दर्शित होता है कि इस दुर्घटना के बाबत् द्रक कमांक के.ए.01ए.बी.—8988 अर्थात् दोषी वाहन के चालक अनावेदक तंगराजू को पुलिस व्दारा अभियोजित किया गया है और शव पंचनामा, मर्ग इंटीमेशन, शव परीक्षण के आवेदन व प्रतिवेदन से यह स्थापित पाया जाता है कि उक्त दुर्घटना में आई गंभीर चोट के फलस्वरूप सोमनाथ की मृत्यु हुई ।
- अनावेदक पक्ष व्दारा तर्क दिया गया है कि दोषी वाहन से दुध 12. िटना होने में भ्रम की स्थिति है । इस विषय में देखें तो सोमनाथ के साथ काम करने वाले आ.सा.क.-3 सुध्दुराम ने कहा है कि वे बोर गाड़ी में काम करने लोहारा गये थे । वह स्वयं बोर गाडी में था, उसके साथ वाली सामान गाडी में सोमनाथ था, जो सामान उतार रहा था । तब गाडी को अचानक आगे बढा देने से सोमनाथ नीचे गिर गया और गाडी का चक्का उसके उपर चढ गया था । प्रति–परीक्षण में उसने कहा है कि क्रमांक 8988 वाले वाहन में स्वयं वह था, जबकि मृतक सोमनाथ दूसरी गाड़ी में था । सुध्दूराम के इसी कथन को सामने रखकर अनावेदक पक्ष ने कहा है कि दोषी वाहन से दुर्घटना नहीं हुई है । यह उल्लेखनीय है कि दोषी वाहन को बोरखनन वाला वाहन बताया गया है और बोर खनन वाली वाहन के साथ सामान की भी एक द्राली चलती है । उस द्राली में कोई इंजन नहीं होता और इस मामले में भी ऐसा नहीं बताया गया है कि मृतक जिस सामान वाली गाड़ी में था उसका कोई दूसरा पंजीयन क्रमांक रहा हो या उसका अलग से इंजन रहा हो । इससे परिलक्षित होता है कि एक ही इंजन और गाड़ी वाली बोर वाहन में सामान की जो द्राली

होती है उसे ही सुध्दूराम ने दूसरी गाड़ी होना कहा है, जबिक दोनों गाड़ी साथ में जुड़ी होती है और एक ही इंजन से चलती है । इसिलये अनावेदक पक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता कि दुर्घटना किस गाड़ी से हुई इसमें कोई भ्रम की स्थिति हो । चूंकि सामान वाली गाड़ी भी बोर वाली मूल इंजन गाड़ी के साथ चलती है, इसिलये दोषी वाहन जो बोर वाली मूल इंजन गाड़ी है उससे ही दुर्घटना होना और उसके चालक की ही लापरवाही होना माना जायेगा । इस प्रकार सुध्दूराम के इस कथन का खंडन नहीं हुआ है कि चालक व्दारा अचानक गाड़ी चला देने से दुर्घटना हुई थी, जिसका समर्थन भी पुलिस के चालानी दस्तावेजों से होता है । इस प्रकार यह प्रमाणित पाया जाता है कि अनावेदक तंगराजू व्दारा दोषी वाहन को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाये जाने के कारण हुई दुर्घटना में सोमनाथ की मृत्यु हुई । अतः वादप्रश्न क्रमांक—1 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हाँ" में दिया जाता है ।

वाद प्रश्न कमांक-3:-

13. बीमा की शर्तों का उल्लंघन किया गया, ऐसा बचाव अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी व्दारा लिया गया है। इसलिये सबूत भार भी बीमा कंपनी पर रहा है, जिसके निर्वहन में अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी व्दारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। आवेदक पक्ष व्दारा प्रस्तुत चालानी दस्तावेजों में जप्ती प्रदर्श पी— 3 के अनुसार पाया जाता है कि दोषी वाहन के साथ उसके कागजात तथा चालक का ड्रायव्हिंग लायसेंस चालक तंगराजू से जप्त किया गया था। मामले में वाहन के पंजीयन प्रमाण—पत्र, फिटनेस, परिमट व बीमा पत्र की भी छायाप्रति संलग्न की गई है। उन्हें अवैध या अप्रभावशील दर्शाने वास्ते बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। इसलिये यह प्रमाणित नहीं पाया जाता कि दोषी वाहन के चालन में बीमा के किसी शर्त का भंग किया गया हो। इसलिये वादप्रश्न कमांक—3 का निष्कर्ष

'प्रमाणित नहीं' में दिया जाता है।

वादप्रश्न क.-4 :-

दावा आवेदन में मृतक सोमनाथ को बोर गाड़ी में काम करने 14. वाला बताया जाकर अभिवचन किया गया है कि उसे 8,500 / – रूपये मासिक आमदनी होती थी और यह भी अभिवचन किया गया है कि भविष्य में उसकी आय में उत्तरोत्तर वृध्दि होती, किंतू इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त 8,500 / – रूपये के अलावा भी कोई भत्ता या खाना खर्च वगैरह मिलता रहा हो । इस प्रकार मृतक की संपूर्ण आय 8,500 / - रूपये कही गई। न्यायालयीन बयान में मृतक की मां आवेदिका कमलाबाई ने कहा है कि सोमनाथ को बोर गाड़ी में मजदूरी करने के फलस्वरूप 4,500/- रूपये महीने मजदूरी मिलती थी, जिसके अलावा उसे रहने और खाने-पीने की सुविधा अलग से कंपनी व्दारा दी जाती थी । उसके साथ काम करने वाले आ.सा.क. −3 सृध्दूराम ने कहा है कि उसे और मृतक को 8,500 / — रूपये महीने मिलता था, जिसके अलावा सप्ताह में 20 / – रूपये का भत्ता और खाना खर्च भी बोर गाड़ी वाले देते थे । बोर गाड़ी का एजेंट के रूप में काम करने वाले आ.सा.क. -4 भानसिंह साहू ने कहा है कि मृतक सोमनाथ को वाहन के मालिक व्दारा 7,000 / – रूपये प्रतिमाह दिया जाता था, जिसके अलावा खाना व दवाई तथा रूकने का खर्च भी कंपनी व्दारा वहन किया जाता था । इस प्रकार सभी के बयान में विरोधाभास की स्थिति है और मृतक सोमनाथ किसी बोर गाड़ी में काम करता रहा हो इस बाबत् कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है, किंत् साक्षियों के बयान का खंडन भी नहीं हुआ है, इसलिये यह पाया जाता है कि वह बोर गाड़ी में मजदूरी करता था । जहां तक उसकी आय का प्रश्न है ? इस बाबत् कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं हुआ है और साक्षियों के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है । प्रत्येक व्यक्ति की आय में महंगाई बढ़ने के साथ ही भविष्य में प्रगित के कारण वृध्दि की संभावना रहती है । इस दशा में समस्त मौखिक साक्ष्य और वृध्दि की संभावना को दृष्टिगत् रखते हुये सोमनाथ की मासिक आय 6,000/— रूपये आंकी जाती है, जिसमें 12 का गुणक किये जाने पर उसकी वार्षिक आय 72,000/— रूपये होती है । आवेदिका कमलाबाई ने यह स्वीकार किया है कि उसका दूसरा पुत्र सोमारूराम विवाहित है, जिसके 2 बच्चे भी हैं । अभिलेख में उसने राशनकार्ड की भी प्रति प्रदर्श पी—12सी संलग्न की है, जिसके अनुसार सोमारूराम उन्हीं के परिवार का सदस्य है । इन तथ्यों को देखते हुये जब मृतक अविवाहित था, इसलिये मृतक का व्यक्तिगत खर्च 50 प्रतिशत अर्थात् 36,000/— रूपये घटाने पर आवेदक पक्ष की वार्षिक आश्रितता राशि 36,000/— रूपये आती है ।

दावा आवेदन में सोमनाथ की उम्र 20 वर्ष होना कहा गया है । 15. अभिलेख में उसके भाई सोमारूराम के आधार कार्ड में सोमारूराम की जन्मतिथि 8-7-1988 उल्लेखित है, जबिक सोमनाथ के स्कूल के प्रगति-पत्रक में सोमनाथ की जन्मतिथि 10-5-1997 उल्लेखित है । यदि यह जन्मतिथि मानें तो मृत्यू दिनांक 2-6-2015 को सोमनाथ की उम्र लगभग 18 वर्ष की हो गई थी । न्याय-दृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा व अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य 2009(2) ए.सी.सी.डी. 924 (स्.कोर्ट) में माननीय उच्चतम-न्यायालय व्दारा व्यक्त अवधारणा के अनुरूप 15 से 25 वर्ष तक आयु वर्ग वाले मृतकों के मामले में गुणांक 18 का लागू किया जाना बताया गया है। इस दृष्टि से इस मामले में भी 18 का गुणांक लागू किया जाना उचित पाया जाता है । आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता राशि 36,000 / — रूपये में 18 का गुणक किये जाने पर कुल आश्रितता राशि 6,48,000 / - रूपये होती है, जिसमें संपदा की हानि व प्रेम-रनेह से वंचित होने के मद का 1,00,000 / – रूपये तथा अंतिम कियाकर्म के बाबत् 25,000 / – रूपये और जोड़े जाने पर कुल प्रतिकर राशि 7,73,000 / - रूपये होती है, जो आवेदकगण प्राप्त करने के हकदार हैं।

16. अनावेदकगण क्रमशः दोषी वाहन के चालक, पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं । चालक तंगराजू की उपेक्षा और उतावलेपन से दुर्घटना में सोमनाथ की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है, बीमा की शर्तों का भंग होना प्रमाणित नहीं हुआ है । इसलिये उक्त प्रतिकर के लिये अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं।

वादप्रश्न क.-5 :-

- 17. उपरोक्त विवेचना पर से यह अधिकरण पाती है कि आवेदकगण अपना दावा अनावेदकगण के विरूध्द आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अतः आवेदकगण का दावा अंशतः स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि:—
 - अ. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदकगण को 7,73,000 / — रूपये (अक्षरी सात लाख तिहत्तर हजार रूपये) अदा करेंगे, जिस पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से संपूर्ण अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा । शेष दावा खारिज किया जाता है ।
 - ब. अनावेदकगण उभय पक्ष का वाद व्यय भी वहन करेंगें।
 - स. प्रतिकर राशि जमा होने पर आवेदिका श्रीमती कमलाबाई के नाम 3,00,000/— रूपये एवं सोमारूराम के नाम

3,00,000 / — रूपये 10 वर्ष के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी जमा की जाये, जिसमें से वे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि आहरण कर सकेंगे और शेष राशि आवेदकगण को बराबर हिस्से में एकाउंट पेयी भुगतान किया जाये ।

द. मामले में अधिवक्ता शुल्क 3 दिन में प्रमाणित होने पर उभय पक्ष हेतु पृथक—पृथक 500—500/— रूपये आंका जाता है।

तदानुसार व्यय तालिका तैयार की जाये।

सही/-

बालोद, दिनांक 10-3-2017.

(संजय जायसवाल) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,बालोद, जिला बालोद(छ0ग0)

वाद व्यय

क0		आवेदक	अना0क0–1 व 2	अना0क0–3
1	मूलदावा	40=00	_	-
2	पावर	5=00	5=00	5=00
3	आवेदन पत्र	35=00	_	10=00
4	अभिभाषक शुल्क	_	_	П
	योग	80=00	5=00	15=00

सही / – (संजय जायसवाल) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद(छ0ग0)